

महिला वकील ने कहा, मैंने स बेशर्म न्यायाधीश को माफ किया

एक महिला ट्रेनी वकील द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज पर यौन शोषण का आरोप लगाने के मामले की जांच करने वाली तीन जजों की समिति के समक्ष पीड़ित लड़की ने कहा है कि उसने जज को माफ कर दिया है। इस लड़की ने सोमवार को अपना बयान समिति के समक्ष दर्ज कराया था।

जस्टिस आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली समिति ने इंटरन से करीब दो घंटे तक पूछताछ की थी। सूत्रों के अनुसार इंटरन ने समिति को बताया कि वह यौन हमले के मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। समिति की पूछताछ के दौरान इंटरन ने पूर्व जज का नाम भी लिया, लेकिन उसे रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया। इंटरन आज फिर से समिति के समक्ष पेश होकर अपना बयान दर्ज कराएगी। समिति ने जब इंटरन से बात को सार्वजनिक करने के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसका मकसद लोगों में जागरूकता फैलाना था ताकि पता लग सके कि जिन लोगों और स्थानों को हम बहुत सम्मान से देखते हैं, वहां क्या होता है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी जज के एक रिश्तेमदार ने इंटरन लड़की से मिले थे और उससे अनुरोध किया था कि यदि वह शिकायत करेगी तो जज का करियर खराब हो जाएगा। इसलिए उन्हें द बरख्श दें।